



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 84 ]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 30, 2002/चैत्र 9, 1924

No. 84]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 30, 2002/CHAITRA 9, 1924

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2002

सं. पी-20029/22/2001-पीपी.— यह निर्णय लिया गया है कि पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशान्तित मूल्य निर्धारण व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए, जो 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा। इसके परिणामस्वरूप 1 अप्रैल, 2002 से तेल समन्वय समिति (ओ सी सी) समाप्त हो जाएगी।

2. जबकि प्रशासित मूल्य व्यवस्था को समाप्ति के पश्चात् इसके स्थान पर एक वैधानिक नियामक होगा जो उन क्षेत्रों को देख-रेख करेगा जिनमें हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी, सरकार को ऐसे कुछ कार्य अभी भी करने होंगे जिन्हें अब तक ओ सी सी करती थी, क्योंकि ऐसे क्रियाकलाप सरकार के अधिकार क्षेत्र में चलते रहेंगे। इस प्रकार, यह निर्णय लिया गया है कि एक "पेट्रोलियम योजना और विरलेषण प्रकोष्ठ" का गृजन किया जाए, जो 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और जिसे अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित क्रियाकलापों के लिए मंत्रालय के साथ मध्यम किया जाए

- (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी तेल और घरेलू एल पी जी पर राजसहायता और दूर-दराज के क्षेत्रों के लिए परिवहन भाड़े पर राजसहायता का प्रशासन;
- (ख) आपात स्थितियों और अनपेक्षित परिस्थितियों से निपटने के लिए भूचना डाटा बैंक और संचार प्रणाली का रख-रखाव करना;
- (ग) अन्तर्राष्ट्रीय तेल बाजार और घरेलू मूल्यों में तूटान का विश्लेषण करना;
- (घ) पेट्रोलियम आयात और निर्यात प्रवृत्तियों का पूर्वानुमान लगाना और मूल्यांकन करना;
- (ङ) क्षेत्र विशेष अधिभार योजनाओं, यदि कोई हों, को प्रचालित करना।

इस प्रकोष्ठ की सेवाएं तेल पुल खाते को समाप्त करने के लिए भी उपयोग में लाई जाएंगे।

3. इस प्रकोष्ठ की संरचना अनुबंध में दी गई है। इन 43 कार्गियों के संबंध में व्यय और प्रकोष्ठ का कार्यालय व्यय तेल औद्योगिक विकास बोर्ड (ओ आई डी सी) द्वारा किया जाएगा, जिनके पदनाम और कार्य समूह अनुबंध में दिए गए हैं। शेष कार्गियों के संबंध में 31 दिसम्बर, 2002 तक व्यय संबंधित तेल कंपनियों द्वारा किया जाएगा जिनसे उन्हें लिया गया है। इस प्रकोष्ठ की संरचना की समीक्षा राजसहायताओं की समाप्ति के बाद की जाएगी।

4. इस प्रकोष्ठ का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

जिवाला मिश्र, मुख्य सचिव

## अनुबंध

प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था के बाद पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सहायता के लिए प्रकोष्ठ की संरचना।

पदनाम	कार्य समूह	व्यक्तियों की संख्या
निदेशक	एच	1
वित्त और लेखा		
अपर निदेशक	एफ/जी	3
संयुक्त/उप निदेशक	सी/डी/ई	4
सहायक निदेशक	ए/बी	2
सहायक/वैयक्तिक सचिव		4
कुल		13
योजना और कंप्यूटर		
अपर निदेशक	एफ/जी	3
संयुक्त/उप निदेशक	सी/डी/ई	
योजना, विपणन, तकनीकी, प्रचालन और गैस		5
कंप्यूटर प्रणालियां		6
सहायक/वैयक्तिक सचिव		7
कुल		21
प्रशासन		
संयुक्त निदेशक	डी/ई	1
सहायक निदेशक	ए/बी	1
सहायक/वैयक्तिक सचिव		2
सन्देश वाहक		4
कुल		8
कुल मानवशक्ति		43 *

\*टिप्पणी.—तेल पूल लेखा की परिसमाप्ति के लिए वर्ष 2002-03 के दौरान अधिक मानवशक्ति की आवश्यकता होगी। अप्रैल—जुलाई 2002 के बीच 140 कार्मिकों की आवश्यकता होगी। यह संख्या 31 अगस्त, 2002 तक कम होकर 70 और 31 दिसम्बर, 2002 तक और कम होकर 43 रह जाएगी।

टिप्पणी.—तालिका के कालम 2 में दर्शाए गये कार्य समूहों का अर्थ शेड्यूल ए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य समूहों से हैं।

## MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

## RESOLUTION

New Delhi, the 30th March, 2002

No. P-20029/22/2001-PP.—It has been decided to dismantle the Administered Pricing Mechanism (APM) in the petroleum sector effective 1st April, 2002. As a result, the Oil Coordination Committee (OCC) will stand abolished effective 1st April, 2002.

2. While a statutory regulator would be in place post APM to take care of most of the areas requiring intervention, the Government would still need to discharge some of the functions, presently being performed by the OCC, as such functions would continue to remain within the domain of the Government. Thus, it has been decided to create a "Petroleum Planning and Analysis Cell" effective 1st April, 2002, to be attached to the Ministry and assist inter alia in the discharge of following functions :

- (a) Administration of subsidy on PDS Kerosene and domestic LPG and freight subsidy for far-flung areas;
- (b) Maintenance of information data bank and communication system to deal with emergencies and unforeseen situations;
- (c) Analyzing the trends in the international oil market and domestic prices;
- (d) Forecasting and evaluation of petroleum import and export trends;
- (e) Operationalising the sector specific surcharge schemes, if any.

The services of the Cell will also be utilized to wind up the oil pool account.

3. The structure of the Cell is at Annexure. Oil Industry Development Board (OIDB) will fund the office expenditure and the expenditure in respect of 43 personnel whose designations and job group have been mentioned in the Annexure, with the expenditure in respect of the rest of the personnel being borne by the concerned oil companies, to whom the employees belong, up till 31st December, 2002. The structure of the Cell will be reviewed after the phasing out of the subsidies.

4. The headquarters of the Cell will be at New Delhi.

SHIVRAJ SINGH, Jt. Secy.

#### ANNEXURE

#### STRUCTURE OF THE CELL TO ASSIST MoP & NG POST APM

Designation	Job Group	No. of Persons
Director	II	1
<b>Finance and Accounts</b>		
Additional Director	F/G	3
Joint/Deputy Director	C/D/E	4
Assistant Director	A/B	2
Assistant/Personnel Secretary		4
Total		13
<b>Planning and Computers</b>		
Additional Director	F/G	3
Joint/ Deputy Director	C/D/E	
Computer Systems		5
Planning, Marketing, Technical, Operations and Gas		6
Assistant/Personal Secretary		7
Total		21
<b>Administration</b>		
Joint Director	D/E	1
Assistant Director	A/B	1
Assistant/Personal Secretary		2
Messengers		4
Total		8
<b>Total manpower</b>		<b>43*</b>

\*Note : More manpower would be needed during the year 2002-03 to wind up the oil pool account. 140 personnel would be required between April—July 2002. This number would get reduced to 70 by 31st August, 2002 and to 43 by 31st December, 2002.

Note : Job groups shown in col. 2 of the Table mean the job groups of a Schedule 'A' public sector undertaking.